केवल शासकीय प्रयोजनार्थ
(अध्ययन क्रमांक–414)

राजस्थान सरकार

सहकारिता विभाग
का
जेन्डर प्रतिसंवेदी बजट

निदेशालय मूल्यांकन संगठन
योजना भवन,
जयपुर

उद्‌बोधन

भारत में महिलाओं की स्थिति पर 1974 में स्थापित कमेटी के प्रतिवेदन पश्चात् लोक व्यय में जेन्डर परिपेक्ष्य महत्वपूर्ण होता जा रहा है। वर्ष 1992–97 की आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस पर विशेष जोर दिया कि साधारण विकास योजनाओं से महिलाओं के विकास हेतु धन राशि का प्रवाह होना चाहिए। नवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002) में पूर्व में स्वीकृत धारणा को पुनः सुनिश्चित करते हुए महिला भागीदारी योजना को अपनाते हुए केन्द्र तथा राज्य सरकारों को निर्देश दिये गये कि महिला संवर्ग पर कम से कम कोष का 30 प्रतिशत महिला संबंधी कार्य के लिए निर्धारित किया जाय। दसवीं योजना ने पूर्ण दृढ़ता के साथ महिला घटक योजना एवं जेन्डर रेस्पोन्सिव बजटिंग (GRB) की सम्पूरक भूमिका के बदौलत यह सुनिश्चित किया कि महिलाओं को विकास की यात्रा में अधिकाधिक हिस्सा प्राप्त हो। सर्वप्रथम वर्ष 2001–02 के केन्द्रीय बजट में जेन्डर विश्लेषण का क्रियान्वयन किया गया।

राज्य में जन सेवाओं का लाभ महिलाओं तक कितना व किस तरह पहुँच रहा है, यह जानने के उद्धेश्य से माननीया मुख्यमंत्री ने अपने 2005–06 के बजट भाषण में जेन्डर बजटिंग एवं ऑडिटिंग की आवश्यकता एवं वर्ष 2006–07 के बजट भाषण में जेन्डर बजटिंग एवं अंकेक्षण कार्य के विस्तार की घोषणा करने पर इनकी क्रियान्विति के संदर्भ में वर्ष 2006–07 में कुल 8 विभागों को चिन्हित् किया गया क्रमशः ग्रामीण विकास, स्वायत्त शासन, जनजाति विकास, उद्योग, सहकारिता, पशुपालन, वन एवं फलोद्यान। उक्त वर्णित विभागों के प्रथम 5 विभागों का जेन्डर बजटिंग एवं ऑडिटिंग का कार्य राज्य मूल्यांकन संगठन एवं अन्तिम 3 विभागों का कार्य आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सहयोग से पूर्ण करवाया गया। इस बजट भाषण की अनुपालना में सहकारिता विभाग का यह प्रतिवेदन तैयार किया गया है। वर्ष 2006–07 में इस प्रक्रिया के अन्तर्गत सहकारिता क्षेत्र का विश्लेषण प्रस्तुत प्रतिवेदन में किया गया है। आशा है, प्रतिवेदन में दिये गये रचनात्मक सुझाव इस क्षेत्र में रूची रखने वाली शासकीय संस्थाओं एवं नीति–निर्माताओं के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे।

तिथि : जुलाई,2007
स्थान : जयपुर

(वी.श्रीनिवास)
शासन सचिव, आयोजना

आमुख

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में महिलाओं को समान अवसर सुलभ करवाने का शासकीय प्रयास रहा है। देश में शिक्षा प्रसार एवं सामान्य चेतना के कारण महिलाएं भी विकास एवं नीति निर्माण क्षेत्र में सहभागी बनकर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देती रही है। महिलाओं के योगदान को स्वीकार करते हुये केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने महिलाओं के विकास, सशक्तिकरण एवं समान भागीदारी हेतु प्रयास करते हुये 21वीं सदी में जेन्डर बजटिंग एवं ऑडिटिंग की अवधारणा को साकार रूप देते हुये वार्षिक बजट घोषणा पत्रों में इसको यथेष्ट स्थान दिया है।

ऐसा महसूस किया गया है कि राज्यों के बजट को जेन्डर परिप्रेक्ष्य में विश्लेषित किया जाये क्योंकि राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के कोष का महत्वपूर्ण भाग सामाजिक क्षेत्र पर व्यय किया जाता है जो अंततः महिला कल्याण विकास एवं सशक्तिकरण को प्रभावित करता है।

नियोजित आर्थिक विकास के लिये सहकारिता आन्दोलन एक प्रमुख आधार है। नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु सहकारिता की भागीदारी महत्वपूर्ण है। आज सहकारिता एवं सहकारिता विभाग की योजनाओं से ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की लगभग समस्त महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियाँ प्रभावित व विकसित होती है। सहकारी किसान कार्ड की सुविधा ऋणी सदस्यों को देकर, राजस्थान सहकारी क्षेत्र में पूरे देश में शीर्ष पर आ गया है।

सहकारिता विभाग का जेन्डर बजटिंग एवं ऑडिटिंग कार्य मूल्यांकन संगठन द्वारा वर्ष 2006–07 में किया गया है। यह प्रतिवेदन सहकारिता विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई भौतिक एवं वित्तीय सूचना पर आधारित है।

सहकारिता विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों की प्रगति के अवलोकन से ज्ञात होता है कि कई कार्यक्रमों में महिला लाभार्थियों का प्रतिशत कुल लाभान्वितों की तुलना में काफी कम है, अतः यह प्रयास किये जाने चाहिये कि अधिकांश व्यक्तिगत लाभकारी कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी 25–30 प्रतिशत तक हो। आशा है कि प्रतिवेदन के निष्कर्ष एवं सुझाव कार्यकारी विभाग के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे।

तिथि : जून,2007
स्थान : जयपुर

(जी.आर.पाराशर)
निदेशक एवं पदेन उप सचिव

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
	निष्पादक संक्षेप	**i - vi**
1.0	**पृष्ठभूमि**	**1**
1.1	जेन्डर बजटिंग एवं ऑडिटिंग (परिभाषा)	2
1.2	जेन्डर बजटिंग–ऑडिटिंग के उद्देश्य	2
1.3	जेन्डर बजटिंग–ऑडिटिंग हेतु शासकीय प्रयास	2
1.4	जेन्डर बजटिंग व ऑडिटिंग की आवश्यकता	3
2.0	**सहकारिता विभाग**	**3**
3.0	**सहकारिता विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रम**	**4**
3.1	महिलाओं का ''अपना बचत घर''	4
3.2	व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना	5
3.3	ज्ञान सागर ऋण योजना	5
3.4	सहकार स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना	6
3.5	अविका क्रेडिट कार्ड योजना	7
3.6	सहकार प्रभा योजना	8
3.7	नव नलकूप निर्माण	9
3.8	विद्युतीकरण	9
3.9	महिला विकास ऋण सहायता योजना	9
3.10	असफल कुआं क्षतिपूर्ति योजना	10
3.11	सावधि जमा योजना	10
3.12	दीर्घकालीन ऋण वितरण	10
3.13	कृषि बीमा योजना (क्षतिपूर्ति राशि)	12
3.14	ग्राम सेवा सहकारी समितियों में सदस्यता	13
3.15	सहकारी किसान क्रेडिट कार्ड	15
3.16	स्वयं सहायता समूहों को ऋण सुविधा	16
3.17	महिला अरबन को–आपरेटिव बैंक लि.	17
3.18	सहकारी आवास	17
3.19	बेबी ब्लैंकेट योजना	18
3.20	गृह निर्माण सहकारी समितियाँ	20
3.21	अल्पकालीन फसली ऋण	20
3.22	मध्यकालीन कृषि ऋण	21
3.23	वर्मी कम्पोस्ट	21
3.24	स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना	21
4.0	**सुझाव**	**22–23**

निष्पादक संक्षेप

I. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में महिलाओं को समान अवसर सुलभ करवाने का शासकीय प्रयास रहा है। देश में शिक्षा प्रसार एवं सामान्य चेतना के कारण महिलाएं भी विकास एवं नीति निर्माण क्षेत्र में सहभागी बनकर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देती रही है। महिलाओं के योगदान को स्वीकार करते हुये केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने महिलाओं के विकास, सशक्तिकरण एवं समान भागीदारी हेतु प्रयास करते हुये 21वीं सदी में जेन्डर बजटिंग एवं ऑडिटिंग की अवधारणा को साकार रूप देते हुये वार्षिक बजट घोषणा पत्रों में इसको यथेष्ट स्थान दिया है।

जेन्डर बजटिंग व ऑडिटिंग अवधारणा को संक्षेप में इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि ''शासकीय बजट प्रावधान में जेन्डर गेप (दूरी) के परीक्षण उपरान्त जेन्डर हेतु आनुपातिक बजट व्यवस्था से महिला वर्ग पर पड़े प्रभावों का अंकेक्षण तथा महिलाओं को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने की प्रतिबद्धता प्रकट करना।'' अन्य शब्दों में जेन्डर बजटिंग एवं ऑडिटिंग एक अवधारणा है। **सामान्य वित्तीय प्रक्रिया में बजट आवंटन जेन्डर बजटिंग नहीं होकर एक समेकित बजट होता है। जेन्डर बजटिंग/ऑडिटिंग के माध्यम से विभागीय बजट के विरूद्ध महिलाओं तथा बालिकाओं हेतु बजट प्रावधान तथा व्यय की प्रगति की समीक्षा की जाती है।**

सहकारिता विभाग का जेन्डर बजटिंग एवं ऑडिटिंग कार्य मूल्यांकन संगठन द्वारा वर्ष 2006–07 में किया गया है। यह प्रतिवेदन सहकारिता विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई भौतिक एवं वित्तीय सूचना पर आधारित है।

II. सहकारिता विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रम :

(i) महिलाओं का ''अपना बचत घर'' :

देश की लगभग आधी आबादी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में प्रमुख भूमिका निभा रही महिलाओं को आर्थिक विकास के समुचित अवसर उपलब्ध करवाने के लिए सहकारी क्षेत्र में महिलाओं का ''अपना बचत घर'' 17 जनवरी,2001 से प्रारम्भ की गई। महिला मिनी बैंक ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के बैंक के रूप में कार्य कर रहे है और महिलाओं की जमाओं का दैनिक, साप्ताहिक, मासिक अथवा वार्षिक आधार पर एकत्रित करने के साथ ही दैनिक, साप्ताहिक, मासिक तथा आवश्यकता के अनुसार ऋण उपलब्ध करवा रहे हैं।

(ii) **व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना :**

व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2005–06 में 9.35 लाख कृषकों का बीमा किया गया, इनमें से 8.67 लाख पुरूष कृषक (92.7 प्रतिशत) तथा 0.68 लाख (7.3 प्रतिशत) महिला कृषक थे। वर्ष 2006–07 में माह जनवरी,2007 तक 2.73 लाख कृषकों का बीमा किया गया, इनमें से 2.57 लाख (94.1 प्रतिशत) पुरूष कृषक है तथा शेष 0.16 लाख (5.9 प्रतिशत) महिला कृषक है।

व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना से बीमाधारी कृषकों के परिवार वालो को सहायता भी उपलब्ध करवाई गई। वर्ष 2005–06 में 94 कृषकों को 46.50 लाख रुपये की राशि उपलब्ध करवाई गई। इससे एक महिला कृषक को 0.50 लाख रुपये बीमा कम्पनी द्वारा दिये गये। 93 कृषकों में से 67 कृषकों ने नोमिनी अपनी पत्नी को घोषित किया था अतः 67 महिलाओं को 33.25 लाख रुपये नोमिनी घोषित किए जाने के फलस्वरूप दिये गये।

(iii) **ज्ञान सागर ऋण योजना :**

इस योजना के अन्तर्गत गत तीन वर्षों में 20 छात्र–छात्राओं को लाभान्वित किया गया, इनमें से 4 (20 प्रतिशत) छात्राएं हैं। 36.44 लाख रुपये की ऋण राशि में से 9.75 लाख रुपये (26.8 प्रतिशत) की राशि का ऋण छात्राओं को दिया गया।

(iv) **सहकार स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना :**

सहकार स्वरोजगार क्रेडिट योजना के अन्तर्गत महिला लाभार्थियों की संख्या वर्ष 2004–05 में 6.3 प्रतिशत, वर्ष 2005–06 में 7.5 प्रतिशत तथा वर्ष 2006–07 में माह दिसम्बर,2006 तक 8 प्रतिशत रही है।

(v) **अविका क्रेडिट कार्ड योजना :**

अविका क्रेडिट कार्ड योजना के अन्तर्गत वर्ष 2004–05 में 15.55 लाख रुपये का ऋण वितरण किया गया। वर्ष 2005–06 में 39 पुरूष पशुपालकों को 4.38 लाख रुपये के ऋण उपलब्ध करवाया गया।

(vi) **सहकार प्रभा योजना :**

सहकार प्रभा योजना के अन्तर्गत ऋण हेतु पंजीकृत महिलाओं का प्रतिशत गत तीन वर्षों की अवधि में 12 प्रतिशत रहा है। यद्यपि संख्या की दृष्टि से महिला लाभार्थियों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, परन्तु प्रतिशत की दृष्टि से वर्ष 2006–07 में इनमें कुछ कमी आयी है।

(vii) **नव नलकूप निर्माण :**

इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित पुरूष कृषकों तथा महिला कृषकों की संख्या की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है, अतः भविष्य में यह सूचना संकलित की जानी चाहिये।

(viii) **विद्युतीकरण :**

वर्ष 2004–05 में इस योजना के अन्तर्गत 3.37 करोड़ रुपये, वर्ष 2005–06 में 3.78 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2006–07 में माह दिसम्बर,2006 तक 0.48 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2006–07 में माह दिसम्बर,2006 तक 0.48 करोड़ रुपये के ऋण कृषकों को उपलब्ध करवाये गये।

(ix) **दीर्घकालीन ऋण वितरण :**

वर्ष 2004–05 में 250 करोड़ रुपये के लक्ष्यों के विरूद्ध 217.55 करोड़ रुपये का ऋण वितरण किया गया। वर्ष 2005–06 में 250 करोड़ रुपये के लक्ष्य के विरूद्ध 195.00 (माह जनवरी,2006 तक) करोड़ रुपये का ऋण वितरण किया जाकर 78.00 प्रतिशत उपलब्धि अर्जित की गई है। वर्ष 2006–07 में 310 करोड़ रुपये के दीर्घकालीन सहकारी ऋण उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

(x) **कृषि बीमा योजना (क्षतिपूर्ति राशि) :**

वर्ष 2004–05 में प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलें खराब होने पर 2.62 लाख कृषकों को क्षतिपूर्ति हेतु अनुदान दिया गया, इसमें 2.50 लाख पुरूष कृषक तथा शेष 0.12 लाख महिला कृषक थी। इन महिला कृषकों को 401.64 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति की गई, यह राशि कुल दी गई राशि का 4.5 प्रतिशत थी।

वर्ष 2005–06 में 2.71 लाख कृषकों को 14697.79 लाख रुपये की राशि क्षतिपूर्ति हेतु उपलब्ध करवाई गई। इनमें से 2.59 लाख पुरूष कृषक थे तथा 0.12 लाख महिला कृषक थी जो कुल कृषकों का 4.4 प्रतिशत थी। इस वर्ष उपलब्ध करवाई गई राशि में से 4.4 प्रतिशत राशि (650.41 लाख रुपये) महिला कृषकों को उपलब्ध करवाई गई।

(xi) **ग्राम सेवा सहकारी समितियों में सदस्यता :**

ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 96 प्रतिशत पुरूष सदस्य है तथा 4 प्रतिशत सदस्य महिलायें हैं। यद्यपि प्रतिवर्ष ग्राम सेवा सहकारी समितियों के सदस्य संख्या में वृद्धि हुई है, परन्तु महिला सदस्यों की सदस्यता का प्रतिशत लगभग समान ही है। अतः महिलाओं को ग्राम सेवा सहकारी समितियों के सदस्य बनाये जाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिये।

(xii) **सहकारी किसान क्रेडिट कार्ड :**

किसान क्रेडिट सुविधा का लाभ संदर्भित वर्षों में मात्र 1.20 लाख महिलाओं अथवा 4.5 प्रतिशत द्वारा लिया गया है जबकि 25 लाख में भी अधिक (95 प्रतिशत) पुरूषों द्वारा उक्त लाभ लिया गया है। अतः महिलाओं में इस योजना का प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए।

(xiii) **स्वयं सहायता समूहों को ऋण सुविधा :**

14 जिलों में कार्यरत स्वयं सहायता समूह जो केन्द्रीय सहकारी बैकों से जुड़े हुये हैं, उनके सदस्यों पर वर्ष 2004–05 में महिला सदस्यों का प्रतिशत 98 प्रतिशत रहा है, वर्ष 2005–06 में महिला सदस्यों का प्रतिशत 94.8 हो गया, वर्ष 2006–07 में महिला सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई तथा महिला सदस्यों का प्रतिशत 96.3 प्रतिशत हो गया।

(xiv) **सहकारी आवास :**

राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लि., जयपुर द्वारा व्यक्तिगत आवास ऋण योजना के अन्तर्गत संदर्भित अवधि में कुल 333 व्यक्तियों को आवासन हेतु ऋण राशि उपलब्ध करवाई गई, इनमें 72 (21.6 प्रतिशत) महिलाएं तथा 261 (78.4 प्रतिशत) पुरूष है। इस स्थिति को वर्ष के अनुसार देखने पर ज्ञात होता है कि वर्ष 2004–05 में महिला लाभार्थियों का प्रतिशत 25.9 रहा, वर्ष 2005–06 में इसमें कमी आई तथा महिला लाभार्थियों का प्रतिशत 15 रह गया, वर्ष 2006–07 में महिला लाभार्थियों का प्रतिशत 31.1 हो गया। महिला लाभार्थियों को वर्ष 2004–05 में कुल दिये गये ऋण का 25.9 प्रतिशत दिया गया तथा वर्ष 2005–06 में यह ऋण राशि 14.7 रही। वर्ष 2006–07 में माह फरवरी,2007 तक दी गई कुल ऋण राशि में से 40.2 प्रतिशत दिया गया। वर्ष 2004–05 से 2006–07 तक 3 वर्षों की अवधि में दिये गये कुल आवासन ऋण में से महिलाओं को 22.9 प्रतिशत राशि ऋण के रूप में उपलब्ध करवाई गई।

(xv) **बेबी ब्लैंकेट योजना :**

संदर्भित अवधि (वर्ष 2004–05 से 2006–07) में कुल 198 व्यक्तियों को इस योजना से लाभान्वित किया गया। योजना से लाभान्वित होने वालों में 74.2 प्रतिशत पुरूष है तथा 25.8 प्रतिशत महिलायें रही है। वर्ष 2004–05 में लाभान्वित होने वाली महिलाओं का प्रतिशत 24.7 था जो वर्ष 2005–06 में 28.2 हो गया, वर्ष 2006–07 में यह 24.4 प्रतिशत रहा है।

(xvi) **वर्मी कम्पोस्ट :**

रासायनिक खाद के स्थान पर जैविक खाद तैयार करने हेतु 25/50 मैट्रिक टन उत्पादन क्षमता की ईकाइयों हेतु ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। सीकर जिले में इस हेतु 19 पुरूषों को 12.73 लाख रुपये तथा 2 महिलाओं को 1.40 लाख रुपये के ऋण वर्ष 2004–05 में दिये गये। वर्ष 2005–06 में 31 पुरूषों को 2497 लाख रुपये तथा 5 महिलाओं को 4 लाख रुपये की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध करवायी गई।

(xvii) **स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना :**

स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत संदर्भित अवधि में 62.7 प्रतिशत पुरूषों तथा 37.3 प्रतिशत महिलाओं को ऋण उपलब्ध करवाकर लाभान्वित किया गया। वर्ष 2004–05 में योजना के अन्तर्गत 33.3 प्रतिशत महिलाओं को तथा वर्ष 2005–06 में 44.1 प्रतिशत महिलाओं को योजना का लाभ दिया गया। वर्ष 2004–05 में कुल ऋण राशि का 20.1 प्रतिशत ऋण महिलाओं को दिया गया तथा वर्ष 2005–06 में 32.4 प्रतिशत ऋण राशि महिलाओं को उपलब्ध करवायी गई।

III. सुझाव :

राज्य के नियोजित आर्थिक विकास के लिए सहकारिता आन्दोलन एक प्रमुख आधार है। नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु सहकारिता की भागीदारी महत्वपूर्ण हो गई है। इस स्थिति में जेन्ड़र बजटिंग एवं ऑडिटिंग की ओर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। सहकारिता क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के विश्लेषण के बाद निम्न सुझाव अंकित किये गये है :–

(i) राज्य में 23727 समितियों के 93.57 लाख सदस्य हैं, इनमें महिला सदस्य भी है परन्तु उनकी संख्या की जानकारी भी होनी चाहिये तथा यथासंभव महिला सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिये।

(ii) ऋण वितरण में महिला कृषक सदस्यों को प्राथमिकता दिये जाने पर विचार किया जाना चाहिये।

(iii) सहकारी संस्थाओं के चुनावों में महिला सदस्यों की संख्या भी आरक्षित किये जाने पर विचार किया जाना चाहिये।

(iv) सहकारी उपभोक्ता व्यवसाय में महिलायें महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन कर सकती है, उन्हें मेडिकल अनुभाग, नागरिक आपूर्ति अनुभाग, मार्केटिंग अनुभाग में महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व दिये जाने पर विचार किया जाना चाहिये।

(v) सहकारी आवास योजना में महिलाओं को अधिक ऋण दिये जाने चाहिये।

(vi) सहकारिता विभाग द्वारा संचालित व्यापार मेलों में महिला संस्थाओं को अधिक भागीदारी दी जानी चाहिये।

(vii) सहकारिता विभाग द्वारा जेन्ड़र बजटिंग एवं ऑडिटिंग के लिए प्रत्येक कार्यक्रम/योजना के लिए लाभान्वित महिलाओं का लेखा रखा जाना चाहिये। विभाग को प्रबोधन के कार्य को अधिक सक्षम बनाये जाने पर विचार किया जाना चाहिये।

———

सहकारिता विभाग का
जेण्डर प्रतिसंवेदी बजट

1.0 पृष्ठभूमि :

वर्ष 2001 की जनगणना अनुसार देश की कुल आबादी 102.86 करोड़ है जिसमें 53.21 करोड़ पुरूष एवं 49.65 करोड़ महिलाऐं हैं तथा लिंग अनुपात 933 (1000 पुरूष के विपरीत) एवं महिला साक्षरता दर 53.7 प्रतिशत है।

वर्ष 2001 की जनगणनानुसार राज्य की कुल जनसंख्या 5.65 करोड़ है, जिसमें 2.94 करोड़ पुरूष एवं 2.71 करोड़ महिलाऐं हैं। महिलाओं की साक्षरता 44.34 व पुरूषों की साक्षरता 76.46 है। राज्य में 1000 पुरूषों के विरूद्ध महिलाओं का लिंगानुपात 921 है, जिसमें से ग्रामीण क्षेत्र में 930 व नगरीय क्षेत्र में 890 है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीति क्षेत्र में समान रूप से कार्य करने के अधिकार एवं अवसर के प्ररिप्रेक्ष्य में महिलाओं को समान अवसर सुलभ करवाने का शासकीय प्रयास रहा है। देश में शिक्षा प्रसार एवं आम जागरूकता के कारण महिलाऐं भी विकास एवं नीति निर्माण क्षेत्र में सहभागी बनकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देती रही हैं। महिलाओं के योगदान को स्वीकार करते हुए केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने महिलाओं के विकास, सशक्तिकरण एवं समान भागीदारी हेतु प्रयास करते हुए 21वीं सदी में जेन्डर बजटिंग एवं ऑडिटिंग की अवधारणा को साकार रूप देते हुए वार्षिक बजट घोषणा पत्रों में इसको यथेष्ठ स्थान दिया है।

महिला वर्ग को सशक्त बनाने हेतु जेन्डर (महिला+बालिका) बजटिंग को अब एक महत्वपूर्ण साधन माना जाकर महिलाओं की विकास क्षेत्र में समान भागीदारी मानी गयी है।

1.1 जेन्डर बजटिंग एवं ऑडिटिंग (परिभाषा) :

जेन्डर बजटिंग व ऑडिटिंग अवधारणा को संक्षेप में इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि ''शासकीय बजट प्रावधान में जेन्डर गेप (दूरी) के परीक्षण उपरान्त जेन्डर हेतु आनुपातिक बजट व्यवस्था से महिला वर्ग पर पड़े प्रभावों का अंकेक्षण तथा महिलाओं को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने की प्रतिबद्धता प्रकट करना।'' अन्य शब्दों में जेन्डर बजटिंग एवं ऑडिटिंग एक अवधारणा है। **सामान्य वित्तीय प्रक्रिया में बजट आवंटन जेन्डर बजटिंग नहीं होकर एक समेकित बजट होता है। जेन्डर बजटिंग/ऑडिटिंग के माध्यम से विभागीय बजट के विरूद्ध महिलाओं तथा बालिकाओं हेतु बजट प्रावधान तथा व्यय की प्रगति की समीक्षा की जाती है।**

उल्लेखनीय है कि जेन्डर बजटिंग का अभिप्राय महिलाओं के लिए पृथक से बजट आवंटन करना नहीं है अपितु महिलाओं की कठिनाइयों के निराकरण के साथ बुनियादी सुविधा क्षेत्रों के विस्तार हेतु बजट व्यवस्था को अभिनिर्धारित किया जाना है तथा उपलब्ध बजट की सीमान्तर्गत नियमानुसार जेन्डर (महिला+बालिका) को लाभान्वित कराते हुए आनुपातिक व्यय अपेक्षित है।

1.2 जेन्डर बजटिंग–ऑडिटिंग के उद्देश्य :

(1) आवंटित बजट के विरूद्ध व्यय का जेन्डर अनुपात को देखते हुए विश्लेषण करना।
(2) शासन द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत महिला वर्ग पर व्यय उपरान्त पडे प्रभाव का आकलन करना।
(3) महिलाओं हेतु संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना।
(4) महिलाओं को विकास क्षेत्र की मुख्य धारा में जोड़ने एवं उनके समग्र विकास हेतु सुझावों का संकलन करना।

1.3 जेन्डर बजटिंग–ऑडिटिंग हेतु शासकीय प्रयास :

आस्ट्रेलिया पहला देश था जिसने वर्ष 1984 में जेन्डर संवेदी बजट विकसित किया था इसी प्रणाली को दक्षिणी अफ्रीका ने 1995 में अपनाया था। वर्तमान समय में जेन्डर संवेदी बजट (GRB) को 35 देशों द्वारा अपनाया जा चुका है।

भारत में महिलाओं की स्थिति पर 1974 में स्थापित कमेटी के प्रतिवेदन पश्चात् लोक व्यय में जेन्डर परिपेक्ष्य महत्वपूर्ण होता जा रहा है। वर्ष 1992–97 की आठवीं पंचवर्षीय योजना ने सर्वप्रथम इस बात पर जोर दिया कि साधारण विकास योजनाओं से महिलाओं के विकास हेतु धन राशि का प्रवाह होना चाहिए। नवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002) में पूर्व में स्वीकृत धारणा को पुनः सुनिश्चित करते हुए महिला भागीदारी योजना को अपनाते हुए केन्द्र तथा राज्य सरकारों को निर्देश दिये गये कि महिला संवर्ग पर कम से कम कोष का 30 प्रतिशत महिला संबंधी कार्य के लिए निर्धारित किया जाय। दसवीं योजना ने पूर्ण दृढ़ता के साथ महिला घटक योजना एवं जेन्डर रेस्पोन्सिव बजटिंग (GRB) की सम्पूरक भूमिका के बदौलत यह सुनिश्चित किया कि महिलाओं को विकास की यात्रा में अधिकाधिक हिस्सा प्राप्त हो। सर्वप्रथम वर्ष 2001–02 के केन्द्रीय बजट में जेन्डर विश्लेषण का क्रियान्वयन किया गया।

ऐसा महसूस किया गया है कि राज्यों के बजट को जेन्डर परिप्रेक्ष्य में विश्लेषित किया जाये क्योंकि राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के कोष का महत्वपूर्ण भाग सामाजिक क्षेत्र पर व्यय किया जाता है जो अंततः महिला कल्याण विकास एवं सशक्तिकरण को प्रभावित करता है।

1.4 जेन्डर बजटिंग व ऑडिटिंग की आवश्यकता :

राज्य में जन सेवाओं का लाभ महिलाओं तक कितना व किस तरह पहुँच रहा है, यह जानने के उद्धेश्य से माननीया मुख्यमंत्री ने अपने 2006–07 के बजट भाषण में जेन्डर बजट अंकेषण की आवश्यकता प्रतिपादित की है। इस बजट भाषण की अनुपालना में आयोजना विभाग के अधीन कार्यरत मूल्यांकन संगठन द्वारा सहकारिता विभाग का यह प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

2.0 सहकारिता विभाग :

नियोजित आर्थिक विकास के लिये सहकारिता आन्दोलन एक प्रमुख आधार है। नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु सहकारिता की भागीदारी महत्वपूर्ण है। आज सहकारिता एवं सहकारिता विभाग की योजनाओं से ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की लगभग समस्त महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियाँ प्रभावित व विकसित होती है। सहकारी किसान कार्ड की सुविधा ऋणी सदस्यों को देकर, राजस्थान सहकारी क्षेत्र में पूरे देश में शीर्ष पर आ गया है।

किसानों को आवश्यकता के अनुसार अल्पकालीन, मध्यकालीन व दीर्घकालीन सहकारी ऋणों के वितरण के साथ ही गाँव में ही उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, पशु आहार व उपभोक्ता सामग्री के वितरण के कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम देने के साथ ही किसानों की कड़ी मेहनत से तैयार कृषि उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा व्यावसायिक व समर्थन मूल्यों पर खरीद की जा रही है। आवास सुविधा के लिए आवासीय ऋणों के साथ ही भवनों के मरम्मत, परिवर्तन, परिवर्द्धन जैसे कार्यों के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सहकारी क्षेत्र के बैकों द्वारा ''अविका क्रेडिट कार्ड योजना'', ''सहकार जनमंगल'', ''सहकार सुगम क्रेडिट कार्ड योजना'', ''कृषक मित्र'', ''कृषि बीमा योजना'', ''ज्ञानसागर'' जैसी अभिनव योजनाओं के संचालन के साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी तरह की बैकिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाने लगी हैं। सहकारी क्षेत्र में मानव संसाधन विकास पर जोर देते हुए बदलते आर्थिक परिदृश्य के अनुकूल प्रबन्धकीय दक्षता, सेवा सुधार और विस्तार कार्यक्रमों को अपना कर प्रदेश को ''खुशहाल राजस्थान'' बनाने में राज्य की सहकारी संस्थाएं निरन्तर प्रयत्नशील हैं।

गत वर्षों में सहकारिता क्षेत्र में तीव्र गति से प्रगति हुई है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त तक राज्य में सहकारी समितियों की संख्या 8007 थी, जो वर्ष 2003–04 में बढ़कर 23727 हो गई है। वर्ष 2003–04 में इन सहकारी समितियों की सदस्य संख्या 9357038, हिस्सा राशि 111338.51 लाख रुपये तथा कार्यशील पूँजी 1563981.25 लाख रुपये थी।

3.0 सहकारिता विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रम :

3.1 महिलाओं का ''अपना बचत घर'' :

देश की लगभग आधी आबादी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में प्रमुख भूमिका निभा रही महिलाओं को आर्थिक विकास के समुचित अवसर उपलब्ध करवाने के लिए सहकारी क्षेत्र में महिलाओं का ''अपना बचत घर'' 17 जनवरी,2001 से प्रारम्भ की गई। महिला मिनी बैंक ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के बैंक के रूप में कार्य कर रहे है और महिलाओं की जमाओं का दैनिक, साप्ताहिक, मासिक अथवा वार्षिक आधार पर एकत्रित करने के साथ ही दैनिक, साप्ताहिक, मासिक तथा आवश्यकता के अनुसार ऋण उपलब्ध करवा रहे हैं। इस योजना से जुड़ी हुई महिलाओं की संख्या की जानकारी सहकारिता विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी है, अतः विश्लेषण किया जाना संभव नहीं हो पाया है।

3.2 व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना :

मैसर्स आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कं. लि. की व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत दी राजस्थान स्टेट को–ऑपरेटिव बैंक, दी राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक, केन्द्रीय सहकारी बैकों, प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैकों एवं प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों के ग्राहकों एवं कर्मचारियों का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा करने का कार्य माह जून,2005 से शुरू किया गया है जिसके तहत बीमित अवधि में सड़क दुर्घटना, अग्नि दुर्घटना, रेल दुर्घटना, पानी में डूबने, ऊंचाई से गिरने, कीटनाशक या जहरीले प्रभाव, बिजली के करंट, सांप या अन्य जानवर के काटने या हमला करने से, हत्या होने या सामूहिक लड़ाई झगड़े से दुर्घटना अथवा अन्य बाहरी हिंसा/दृष्टिगत साधन से दुर्घटना में बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर, स्थाई समग्र अपंगता होने पर, दोनों आंखे या दोनो पैर या दोनों हाथों की क्षति होने पर, एक आंख और एक हाथ अथवा एक पैर की हानि होने पर, एक हाथ और एक पांव की हानि होने पर रुपये 50,000 तथा एक आंख अथवा एक पैर अथवा एक हाथ की क्षति होने पर रुपये 25,000 की क्षतिपूर्ति बीमा कम्पनी द्वारा दिये जाने का प्रावधान है।

व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2005–06 में 9.35 लाख कृषकों का बीमा किया गया, इनमें से 8.67 लाख पुरूष कृषक (92.7 प्रतिशत) तथा 0.68 लाख (7.3 प्रतिशत) महिला कृषक थे। वर्ष 2006–07 में माह जनवरी,2007 तक 2.73 लाख कृषकों का बीमा किया गया, इनमें से 2.57 लाख (94.1 प्रतिशत) पुरूष कृषक है तथा शेष 0.16 लाख (5.9 प्रतिशत) महिला कृषक है।

व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना से बीमाधारी कृषकों के परिवार वालो को सहायता भी उपलब्ध करवाई गई। वर्ष 2005–06 में 94 कृषकों को 46.50 लाख रुपये की राशि उपलब्ध करवाई गई। इससे एक महिला कृषक को 0.50 लाख रुपये बीमा कम्पनी द्वारा दिये गये। 93 कृषकों में से 67 कृषकों ने नोमिनी अपनी पत्नी को घोषित किया था अतः 67 महिलाओं को 33.25 लाख रुपये नोमिनी घोषित किए जाने के फलस्वरूप दिये गये। दूसरे शब्दों में 94 बीमाधारियों में से 68 (72.8 प्रतिशत) महिलाओं को इस योजना का लाभ प्राप्त हुआ।

3.3 ज्ञान सागर ऋण योजना :

राज्य में ग्रामीण एवं शहरी छात्र–छात्राओं को व्यावसायिक व तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने अथवा उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अभिभावकों अथवा स्वयं छात्र/छात्रा को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से ज्ञान–सागर ऋण योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2004–05 से 2006–07 तक की स्थिति निम्न सारणी में उपलब्ध है :–

सारणी संख्या–1
ज्ञान सागर ऋण योजना की प्रगति

क्र. सं.	वर्ष	कुल लाभार्थी	राशि (लाख रुपये)	लाभान्वित			
				छात्र	राशि (लाख रुपये)	छात्रा	राशि (लाख रुपये)
1.	2004–05	6	9.89	5	7.70	1	2.19
2.	2005–06	6	8.80	5	7.02	1	1.78
3.	2006–07*	8	17.75	6	11.97	2	5.78
	योग	**20**	**36.44**	**16**	**26.69**	**4**	**9.75**

*** दिसम्बर,2006 तक**

उक्त सारणी में उपलब्ध सूचना के अनुसार इस योजना के अन्तर्गत गत तीन वर्षों में 20 छात्र–छात्राओं को लाभान्वित किया गया, इनमें से 4 (20 प्रतिशत) छात्राएं हैं। 36.44 लाख रुपये की ऋण राशि में से 9.75 लाख रुपये (26.8 प्रतिशत) की राशि का ऋण छात्राओं को दिया गया।

3.4 सहकार स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना :

राज्य में निवास करने वाले लघु व्यवसायी/ग्रामीण दस्तकारों को व्यवसाय एवं गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से नगद साख सीमा उपलब्ध करवाने के लिए यह योजना प्रारम्भ की गई। इस योजना की गत तीन वर्षों की क्रेडिट कार्ड उपलब्धि की प्रगति निम्न सारणी में उपलब्ध है :–

सारणी संख्या–2
सहकार स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना की प्रगति

क्र. सं.	वर्ष	कुल लाभान्वित (संख्या)	लाभान्वित			
			पुरूष (संख्या)	प्रतिशत	महिला (संख्या)	प्रतिशत
1.	2004–05	6286	5892	93.7	394	6.3
2.	2005–06	9370	8672	92.5	698	7.5
3.	2006–07*	7808	7182	92.0	626	8.0
	योग	**23464**	**21746**	**92.7**	**1718**	**7.3**

*** दिसम्बर,2006 तक**

चित्र संख्या–1

सहकार स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजनान्तर्गत वर्ष 2004–05 एवं 2005–06 में लाभान्वित पुरूष एवं महिलाओं की संख्या

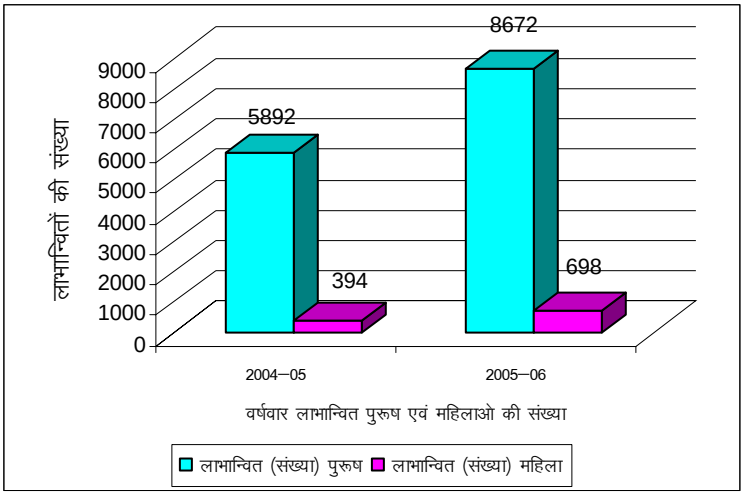

उक्त सारणी के अनुसार सहकार स्वरोजगार क्रेडिट योजना के अन्तर्गत महिला लाभार्थियों की संख्या वर्ष 2004–05 में 6.3 प्रतिशत, वर्ष 2005–06 में 7.5 प्रतिशत तथा वर्ष 2006–07 में माह दिसम्बर,2006 तक 8 प्रतिशत रही है।

3.5 अविका क्रेडिट कार्ड योजना :

राज्य के भेड़पालकों को पशुधन के रख–रखाव एवं दैनिक आवश्यकताओं यथा चारा, दवाइयों, बीमा राशि आदि की पूर्ति हेतु उनकी आवश्यकतानुसार केन्द्रीय सहकारी बैकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाने के लिये वर्ष 2004–05 में ''अविका क्रेडिट कार्ड योजना'' लागू की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत भेड़ पालकों को प्रति पशु रुपये 150 की दर से अधिकतम रुपये 12500 का ऋण प्रदान किया जाने का प्रावधान है। यह ऋण सुविधा नकद साख सीमा के रूप में ''अविका क्रेडिट कार्ड'' के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती है। पशुओं के बीमा हेतु बीमा शुल्क के लिये राज्य के पशु पालन विभाग द्वारा अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। इस प्रकार राज्य के पशुपालकों/ग्रामीण परिवारों को सहकारी साख की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु सक्रिय प्रयास किये जा रहे है।

अविका क्रेडिट कार्ड योजना के अन्तर्गत वर्ष 2004–05 में 15.55 लाख रुपये का ऋण वितरण किया गया। वर्ष 2005–06 में 39 पुरूष पशुपालकों को 4.38 लाख रुपये के ऋण उपलब्ध करवाया गया।

3.6 सहकार प्रभा योजना :

कृषकों को तत्परता से ऋण उपलब्ध कराने, कृषकों की साख सीमा निर्धारित करने तथा दीर्घकालीन ऋणी कृषकों को फसली ऋण उपलब्ध कराने की दृष्टि से वर्ष 2001–02 से सहकार प्रभा योजना समस्त प्राथमिक बैकों में प्रारम्भ की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत ऋणी कृषकों की 5.00 लाख तक साख सीमा निर्धारित की जावेगी तथा ऋणी कृषक को बार–बार दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने होंगे। दीर्घकालीन ऋण ले चुके ऋणी कृषकों जो अवधिपार के दोषी नहीं हैं, को केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा निर्धारित मानदण्ड़ों के अनुसार, भूमि विकास बैकों के पक्ष में बंधक भूमि पर 50,000 तक के फसली ऋण उपलब्ध कराये जावेंगे।

सहकार प्रभा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2004–05, 2005–06 एवं 2006–07 की अवधि में निम्न सारणी में उपलब्ध सूचना के अनुसार कृषकों को ऋण हेतु साख सीमा निर्धारित की गई।

सारणी संख्या–3
सहकार प्रभा योजना के अन्तर्गत साख सीमा

क्र. सं.	वर्ष	कुल सदस्य (संख्या)	लाभान्वित			
			पुरूष (संख्या)	प्रतिशत	महिला (संख्या)	प्रतिशत
1.	2004–05	4903	4364	89.0	539	11.0
2.	2005–06	6462	5629	87.1	833	13.0
3.	2006–07*	8497	7478	88.0	1019	12.0
	योग	**19862**	**17471**	**88.0**	**2391**	**12.0**

*** दिसम्बर,2006 तक**

चित्र संख्या–2
सहकार प्रभा योजना के अन्तर्गत साख सीमा में लाभान्वित पुरूष एवं महिलाओं की संख्या (वर्ष 2004–05 एवं 2005–06)

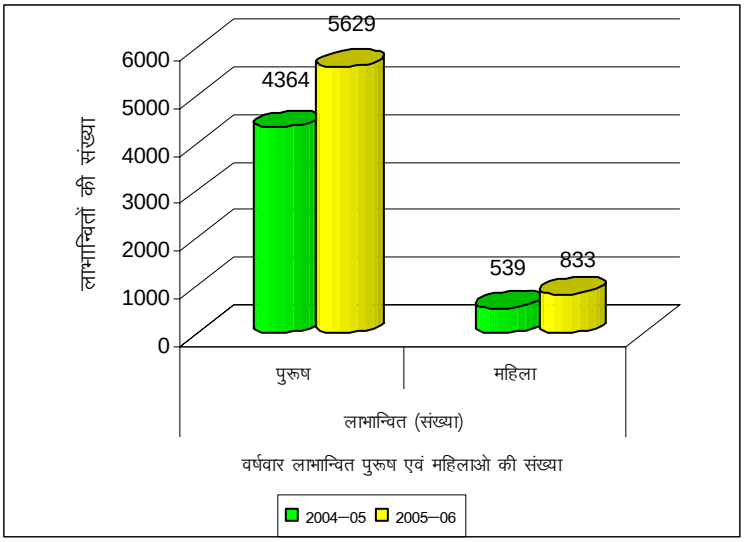

उक्त सारणी यह स्थिति स्पष्ट करती है कि सहकार प्रभा योजना के अन्तर्गत ऋण हेतु पंजीकृत महिलाओं का प्रतिशत गत तीन वर्षों की अवधि में 12 प्रतिशत रहा है। यद्यपि संख्या की दृष्टि से महिला लाभार्थियों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, परन्तु प्रतिशत की दृष्टि से वर्ष 2006–07 में इनमें थोड़ी कमी आयी है।

3.7 नव नलकूप निर्माण :

राज्य बैंक द्वारा प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैकों के माध्यम से सुरक्षित एवं सेमिक्रिटिकल क्षेत्रों में योजनानुसार नये नलकूप बनवाने हेतु ऋण सुलभ करवाया जाता है। वर्ष 2004–05 में 2.58 करोड़ रुपये, वर्ष 2005–06 में 8.69 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2006–07 के माह दिसम्बर,2006 तक 1.42 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किये गये। इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित पुरूष कृषकों तथा महिला कृषकों की संख्या की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है, अतः भविष्य में यह सूचना संकलित की जाने की सिफारिश की जाती है।

3.8 विद्युतीकरण :

लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत राज्य बैंक द्वारा प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैकों के माध्यम से ट्यूब वैल, डग वैल, डग–कम–बोर वैल, कैविटी वैल आदि के विद्युतीकरण हेतु कृषकों को ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। वर्ष 2004–05 में इस योजना के अन्तर्गत 3.37 करोड़ रुपये, वर्ष 2005–06 में 3.78 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2006–07 में माह दिसम्बर,2006 तक 0.48 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2006–07 में माह दिसम्बर,2006 तक 0.48 करोड़ रुपये के ऋण कृषकों को उपलब्ध करवाये गये। लाभान्वित महिलाओं की संख्या उपलब्ध नहीं होने के कारण जेन्ड़रवार विश्लेषण संभव नहीं था।

3.9 महिला विकास ऋण सहायता योजना :

महिलाओं को आय के साधन जुटाने की दृष्टि से बैंक द्वारा महिला विकास ऋण योजना प्रारम्भ की गयी है, भूमि विकास बैकों द्वारा अभी तक केवल उन्हीं सदस्यों को ऋण दिये जाते थे जिनके पास सिक्यूरिटी के रूप में कृषि अथवा आवासीय भवन/भू–खण्ड़ का स्वामित्व हो। इससे उन महिलाओं को ऋण उपलब्ध नहीं हो पाते थे जिनके नाम से अचल सम्पत्ति नहीं है। अतः इस योजना के अन्तर्गत उन महिलाओं को भी 25 हजार रुपये तक के अकृषि ऋणों की सुविधा प्राप्त होती है जिनके नाम से अचल सम्पत्ति नहीं है। इससे महिलाओं को विभिन्न प्रकार के उत्पादक ऋण मिलते हैं जिससे उनकी आय के स्त्रोत बने तथा उनकी जीवन स्तर उन्नत हो। ऋणी को ऋण के अनुपात में केवल 3 प्रतिशत की दर से हिस्सा राशि बैंक में जमा करानी होती है। माह अप्रेल से दिसम्बर,2005 तक महिला विकास योजनान्तर्गत 1333 महिलाओं को 3.29 करोड़ रुपये का ऋण वितरण किया गया है।

3.10 असफल कुआं क्षतिपूर्ति योजना :

वर्ष 1985 के पश्चात् नए कुओं हेतु वितरित ऋण में से यदि नलकूप असफल पाया जाता है तो बकाया मूलधन का 50 प्रतिशत रा.भू.वि. बैंक एवं सम्बन्धित भूमि विकास बैंक द्वारा वहन किया जाता है। मूलधन का 50 प्रतिशत एवं ब्याज की पूर्ण राशि सम्बन्धित कृषक द्वारा वहन की जाती है। इस योजना अन्तर्गत 31–12–2005 तक 370 कृषकों को 42.37 लाख की सहायता राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा दी जा चुकी है।

3.11 सावधि जमा योजना :

राज्य भूमि विकास बैंक एवं 15 चुनिन्दा प्राथमिक भूमि विकास बैंक के माध्यम से अपने सदस्यों में बचत को प्रोत्साहित करने, निजी कोषों में बचत करने, नाबार्ड पुनर्वित पर निर्भरता कम करने तथा ऋण व्यवसाय बढ़ाने के उद्देश्य से सावधि जमा योजना 5 फरवरी,2002 से प्रारम्भ की गई है। बैकों द्वारा जमाओं पर अन्य बैकों से आधे से एक प्रतिशत तक अधिक ब्याज दर दी जा रही है। सावधि जमा पर ऋण सुविधा भी उपलब्ध है।

सावधि जमा योजना के अन्तर्गत गत तीन वर्षों की अवधि में निम्न विवरण अनुसार जमा राशि प्राप्त की गई :–

सारणी संख्या–4

सावधि जमा योजना में गत तीन वर्षों की अवधि में प्राप्त जमा राशि

क्र.सं.	वर्ष	प्राप्त जमा राशि (करोड़ रुपये)
1.	2004–05	3.47
2.	2005–06	3.46
3.	2006–07*	2.50

*** दिसम्बर,2006 तक**

उक्त विवरण के अनुसार राशि जमा कराने वाले कृषकों की संख्या विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराने के फलस्वरूप जेन्ड़रवार विश्लेषण संभव नहीं। राशि जमा करवाने वाले पुरूष कृषकों एवं महिला कृषकों की संख्या संकलित की जानी चाहिये।

3.12 दीर्घकालीन ऋण वितरण :

प्रदेश में सहकारी क्षेत्र में दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराये जाने के लिये राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक एवं 36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक कार्यरत हैं। राज्य के 36 भूमि विकास बैकों एवं इनकी 131 शाखाओं के माध्यम से किसानों को 5 से 15 वर्ष की अवधि के दीर्घकालीन ऋण वितरित किये जा रहे हैं, जिसके लिये राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा विशेष व साधारण ऋण–पत्रों का निर्गमन कर धन

राशि जुटाई जाती है। यह ऋण कृषि यंत्रीकरण, लघु सिंचाई कार्यों, डेयरी विकास, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, सूअर पालन, हौज निर्माण एवं फल वृक्षारोपण कार्यों के लिये किसानों को सीधे सुलभ कराये जा रहे हैं। इसके साथ ही ग्रामीण दस्तकारों एवं लघु उद्यमियों को अकृषि कार्यों हेतु भूमि विकास बैंक ऋण उपलब्ध करा रहे हैं। महिलाओं व निःशक्तजनों को भी भूमि विकास बैंकों के माध्यम से रोजगार के लिये ऋण सुविधा दी जाती है।

गत वर्ष 2004–05 में 250 करोड़ रुपये के लक्ष्यों के विरूद्ध 217.55 करोड़ रुपये का ऋण वितरण किया गया। वर्ष 2005–06 में 250 करोड़ रुपये के लक्ष्य के विरूद्ध 195.00 (माह जनवरी,2006 तक) करोड़ रुपये का ऋण वितरण किया जाकर 78.00 प्रतिशत उपलब्धि अर्जित की गई है। वर्ष 2006–07 में 310 करोड़ रुपये के दीर्घकालीन सहकारी ऋण उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

सारणी संख्या–5
दीर्घकालीन ऋण की स्थिति

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	वर्ष	लाभान्वित (संख्या)			ऋण की राशि (करोड़ रुपये)			लाभान्वित प्रतिशत		ऋण का प्रतिशत	
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
1.	2004–05	24608	3286	27894	168.38	48.96	217.34	88.2	11.8	77.5	22.5
2.	2005–06	33671	4168	37839	245.55	22.70	268.25	89.0	11.0	91.5	8.5
3.	2006–07*	–	1092	1092	197.87	7.95	205.82	–	–	96.1	3.9
	योग	**58279**	**8546**	**66825**	**611.80**	**79.61**	**691.41**	**87.2**	**12.8**	**88.5**	**11.5**

*** दिसम्बर,2006 तक**

चित्र संख्या–3
दीर्घकालीन ऋण की स्थिति में लाभान्वित पुरूष एवं महिलाओं की संख्या (वर्ष 2004–05 एवं 2005–06)

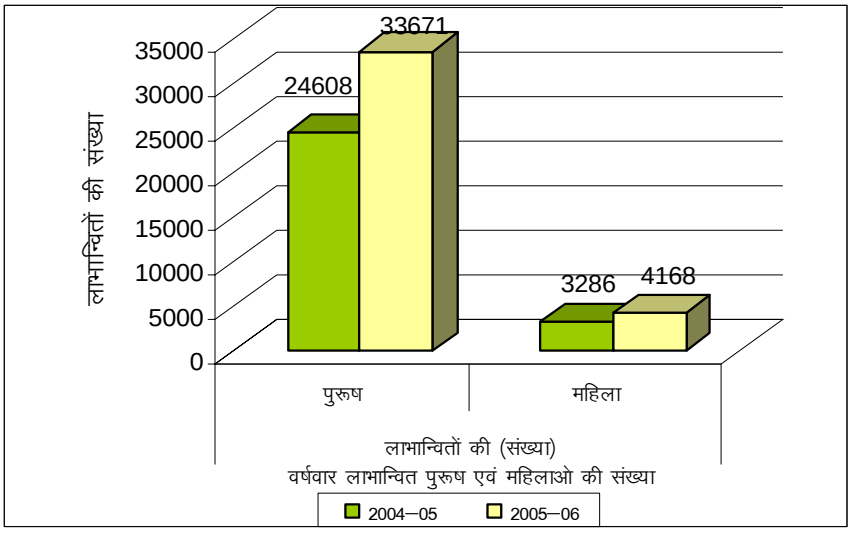

उक्त सारणी में अंकित सूचना से स्पष्ट होता है कि :–

(i) 88 प्रतिशत से भी अधिक पुरूष कृषक इस योजना से लाभान्वित हुये हैं।

(ii) औसतन 11 प्रतिशत महिलाएं दीर्घकालीन ऋण से लाभान्वित हुई है।

(iii) ऋण की राशि में वर्ष 2004–05 में महिलाओं की भागीदारी 22.5 प्रतिशत रही, परन्तु वर्ष 2005–06 में यह घटकर केवल 8.5 प्रतिशत हो गयी।

3.13 कृषि बीमा योजना (क्षतिपूर्ति राशि) :

वर्ष 2003–04 से राज्य सरकार द्वारा राज्य में कृषि बीमा योजना प्रारम्भ की गई है जिसके अन्तर्गत घोषित क्षेत्र में घोषित फसल उगाने वाले किसानों की फसल का बीमा अनिवार्य रूप से किया जाता है। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा भी समुचित अंशदान आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाता है। वर्ष 2004–05 एवं 2005–06 में कृषकों को दी गई क्षतिपूर्ति की स्थिति निम्न सारणी में दर्शायी गयी है :–

सारणी संख्या–6

कृषि बीमा योजना

क्र. सं.	वर्ष	कुल लाभान्वित संख्या (लाख में)	राशि (लाख रुपये में)	पुरूष संख्या (लाख में)	राशि (लाख रुपये में)	महिला संख्या (लाख में)	राशि (लाख रुपये में)	महिलाओं का प्रतिशत	प्राप्त राशि का प्रतिशत
1.	2004–05	2.62	9022.02	2.50	8620.36	11574	401.64	4.6	4.5
2.	2005–06	2.71	14697.79	2.59	1404738	11993	650.41	4.4	4.4

उक्त सारणी से यह स्थिति स्पष्ट होती है कि वर्ष 2004–05 में प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलें खराब होने पर 2.62 लाख कृषकों को क्षतिपूर्ति हेतु अनुदान दिया गया, इसमें 2.50 लाख पुरूष कृषक तथा शेष 0.12 लाख महिला कृषक थी। इन महिला कृषकों को 401.64 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति की गई, यह राशि कुल दी गई राशि का 4.5 प्रतिशत थी।

वर्ष 2005–06 में 2.71 लाख कृषकों को 14697.79 लाख रुपये की राशि क्षतिपूर्ति हेतु उपलब्ध करवाई गई। इनमें से 2.59 लाख पुरूष कृषक थे तथा 0.12 लाख महिला कृषक थी जो कुल कृषकों का 4.4 प्रतिशत थी। इस वर्ष उपलब्ध करवाई गई राशि में से 4.4 प्रतिशत राशि (650.41 लाख रुपये) महिला कृषकों को उपलब्ध करवाई गई।

3.14 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में सदस्यता :

''एक सबके लिए–सब एक के लिए'' मूल मंत्र पर आधारित सहकारी आन्दोलन, परस्पर सहयोग के आधार पर गरीब, साधनहीन और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को बिचौलियों के शोषण से बचाकर आर्थिक विकास की धारा में जोड़ना सहकारिता का मुख्य ध्येय है। सहकारिता आन्दोलन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी उसके ग्राम सेवा सहकारी समितियों के सदस्य होते हैं। ग्राम सेवा सहकारी समिति के सदस्यों का विवरण निम्न सारणी में दर्शाया गया है :–

सारणी संख्या–7
ग्राम सेवा सहकारी समितियों की सदस्य संख्या

(लाखों में)

क्र. सं.	वर्ष	कुल सदस्य संख्या	पुरूष सदस्य	प्रतिशत	महिला सदस्य	प्रतिशत
1.	2004–05	41.17	39.51	960	1.66	4.0
2.	2005–06	41.61	39.94	96.0	1.67	4.0
3.	2006–07*	43.09	41.37	96.0	1.72	4.0

*** दिसम्बर,2006 तक**

चित्र संख्या–4
ग्राम सेवा सहकारी समितियों की वर्ष 2004–05 एवं 2005–06 में लाभान्वित पुरूष एवं महिला सदस्य संख्या (लाखों में)

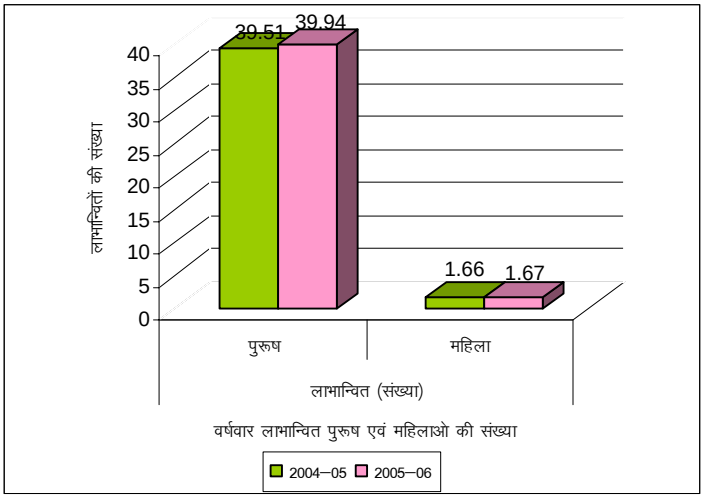

यह सारणी यह स्पष्ट करती है कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 96 प्रतिशत पुरूष सदस्य है तथा 4 प्रतिशत सदस्य महिलायें हैं। यद्यपि प्रतिवर्ष ग्राम सेवा सहकारी समितियों के सदस्य संख्या में वृद्धि हुई है, परन्तु महिला सदस्यों की सदस्यता का प्रतिशत लगभग समान ही है। अतः महिलाओं को ग्राम सेवा सहकारी समितियों के सदस्य बनाये जाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिये।

ग्राम सेवा सहकारी समितियों के सदस्यों को इन समितियों से आवश्यकतानुसार ऋण प्राप्त होता है, इस सुविधा का लाभ प्राप्त करने वाले कृषकों की स्थिति निम्न सारणी में उपलब्ध है :–

सारणी संख्या–8
ग्राम सेवा सहकारी समितियों से ऋण प्राप्त करने वाले सदस्य

(लाखों में)

क्र. सं.	वर्ष	ऋण प्राप्त करने वाले कुल संख्या	पुरूष सदस्य	महिला सदस्य	महिलाओं का प्रतिशत
1.	2004–05	17.98	17.15	0.83	4.6
2.	2005–06	18.50	17.66	0.84	4.5
3.	2006–07*	19.45	18.58	0.87	4.5

*** दिसम्बर,2006 तक**

चित्र संख्या–5
ग्राम सेवा सहकारी समितियों से वर्ष 2004–05 एवं 2005–06 में ऋण प्राप्त करने वाले पुरूष एवं महिला सदस्यों की संख्या (लाखों में)

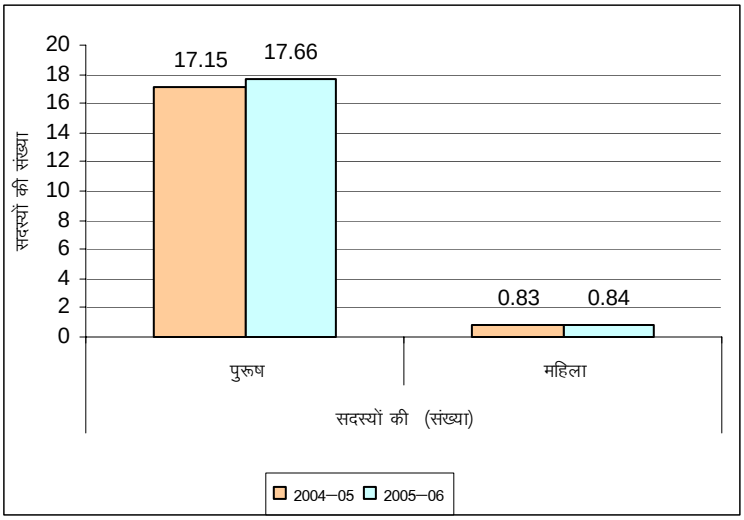

उपर्युक्त सारिणी को देखने से यह निष्कर्ष निकलता है कि कुल सदस्यों (43.09 लाख) की तुलना में बहुत ही कम (19.45 लाख) सदस्यों द्वारा ही ऋण की सुविधा प्राप्त की गयी है। ऋण प्राप्त करने वाले सदस्यों में भी महिला सदस्यों का प्रतिशत 5 से भी कम रहा है।

3.15 सहकारी किसान क्रेडिट कार्ड :

वर्ष 1998–99 में सर्वप्रथम राजस्थान के ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कृषक सदस्यों को सहकारी फसली ऋण प्राप्त करने के लिए आसान प्रक्रिया निर्धारित करते हुये सहकारी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रारम्भ की गई।

गत तीन वर्षों की अवधि में सहकारी किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा प्राप्त करने वाले कृषकों की संख्या निम्न तालिका में देखी जा सकती है :–

सारणी संख्या–9
सहकारी किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा की स्थिति

(लाखों में)

क्र. सं.	वर्ष	कुल सुविधा प्राप्त कृषक संख्या	पुरूष संख्या	प्रतिशत	महिला संख्या	प्रतिशत
1.	2004–05	26.01	24.85	95.5	1.16	4.5
2.	2005–06	26.66	25.49	95.6	1.17	4.4
3.	2006–07*	27.55	26.35	95.6	1.20	4.4

*** दिसम्बर,2006 तक**

चित्र संख्या–6
वर्ष 2004–05 एवं 2005–06 में सहकारी किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा प्राप्त पुरूष एवं महिला लाभान्वितों की संख्या (लाखों में)

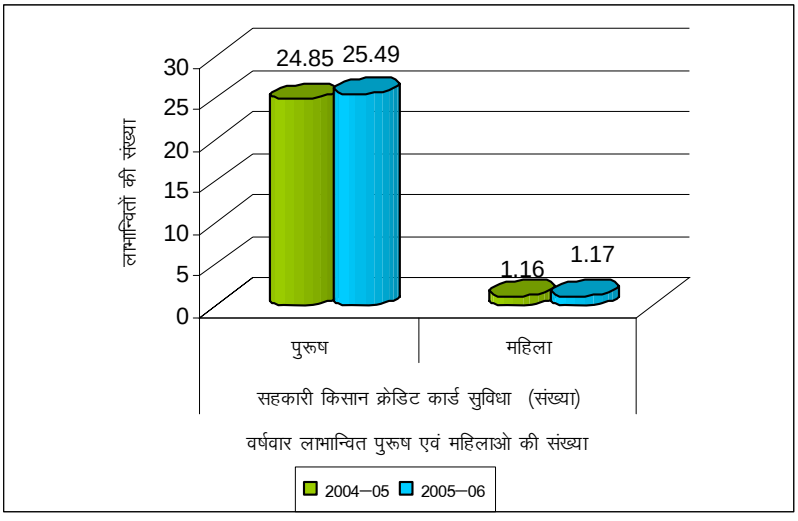

उपर्युक्त सारिणी से स्पष्ट है कि किसान क्रेडिट सुविधा का लाभ संदर्भित वर्षों में मात्र 1.20 लाख महिलाओं अथवा 4.5 प्रतिशत द्वारा लिया गया है जबकि 25 लाख में भी अधिक (95 प्रतिशत) पुरूषों द्वारा उक्त लाभ लिया गया है। अतः महिलाओं में इस योजना का प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए।

3.16 स्वयं सहायता समूहों को ऋण सुविधा :

केन्द्रीय सहकारी बैकों द्वारा उनके जिलों में कार्यरत स्वयं सहायता समूहों को ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। राज्य में कार्यरत केन्द्रीय सहकारी बैकों में से 14 केन्द्रीय सहकारी बैकों से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2004–05 में कुल 7485 सहायता समूह इन केन्द्रीय सहकारी बैकों से जुड़े हुये थे, वर्ष 2005–06 में इन स्वयं सहायता समूहों की संख्या 7036 तथा वर्ष 2006–07 में (माह दिसम्बर,2006 तक) 8488 हो गई थी। इस सम्बन्ध में विस्तृत सूचना निम्न सारणी में उपलब्ध है :–

सारणी संख्या–10

चयनित जिलों में स्वयं सहायता समूहों की स्थिति

क्र. सं.	वर्ष	जिले में बैंक से जुड़े कुल स्वयं सहायता समूह	कुल सदस्य संख्या	महिला सदस्य संख्या	महिला सदस्यों का प्रतिशत	कुल लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	महिला लाभान्वितों की संख्या	महिला लाभार्थियों का प्रतिशत
1.	2004–05	7485	58001	56834	98.0	41053	40675	99.0
2.	2005–06	7936	62710	59443	94.8	55657	52875	95.0
3.	2006–07*	8488	71618	68956	96.3	45968	45264	98.5

*** दिसम्बर,2006 तक**

चित्र संख्या–7

चयनित जिलों में स्वयं सहायता समूहों में वर्ष 2004–05 एवं 2005–06 में पुरूष एवं महिला लाभान्वित सदस्यों की संख्या

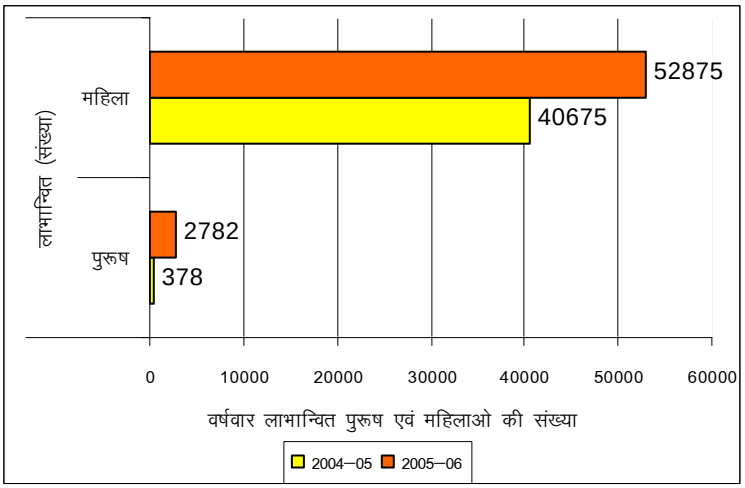

उक्त सारणी के अनुसार 14 जिलों में कार्यरत स्वयं सहायता समूह जो केन्द्रीय सहकारी बैकों से जुड़े हुये हैं, उनके सदस्यों पर वर्ष 2004–05 में महिला सदस्यों का प्रतिशत 98 प्रतिशत रहा है, वर्ष 2005–06 में महिला सदस्यों का प्रतिशत 94.8 हो गया, वर्ष 2006–07 में महिला सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई तथा महिला सदस्यों का प्रतिशत 96.3 प्रतिशत हो गया।

केन्द्रीय सहकारी बैकों द्वारा इन स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को अपनी गतिविधियों के संचालन के लिए ऋण राशि उपलब्ध करवाई जाती है। चयनित 14 बैकों से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2004–05 में ऋण प्राप्त करने वालों में 99 प्रतिशत महिला सदस्य रही है, वर्ष 2005–06 में ऋण प्राप्त करने वाली महिलाओं का प्रतिशत 95 रहा था। वर्ष 2006–07 में केन्द्रीय सहकारी बैकों से 98.5 प्रतिशत महिला सदस्यों द्वारा ऋण सुविधा का लाभ प्राप्त किया गया।

3.17 महिला अरबन को–आपरेटिव बैंक लि. :

राज्य में कुल 42 अरबन को–आपरेटिव बैंक गठित किये गये है इनमें से 6 महिला अरबन को–आपरेटिव बैकों का गठन किया गया है। सभी महिला बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से लाईसेंस प्राप्त कर बैकिंग का कार्य कर रहे हैं। इनमें उदयपुर महिला, उदयपुर महिला समृद्धि, राजपूताना महिला, राजलक्ष्मी महिला, जयपुर–भीलवाड़ा अरबन तथा कोटा महिला नागरिक सहकारी बैंक है। बैकिंग क्षेत्र में महिलाओं द्वारा बैकों का संचालन किया जाना महिलाओं का इस क्षेत्र में प्रगति का सूचक हैं।

3.18 सहकारी आवास :

राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ की स्थापना वर्ष 1970 में राज्य स्तरीय शीर्ष गृह निर्माण संस्था के रूप में की गई थी। संघ द्वारा राज्य के सभी जिलों में गृह निर्माण/ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण वितरित किया जाता है। इसके अन्तर्गत व्यक्तिगत ऋण आवास योजना वर्ष 1996 से कार्यरत है इस योजना के अन्तर्गत मकान बनाने/क्रय करने/मकान के विस्तार एवं अनुमोदित योजनाओं में भू–खण्ड़ क्रय करने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये का ऋण दिया जाता है। इस योजना की स्थिति का विवरण निम्न सारणी में उपलब्ध है :–

सारणी संख्या–11

व्यक्तिगत आवास ऋण योजना

क्र. सं.	वर्ष	लाभान्वित संख्या			ऋण (लाख रुपयों में)			लाभान्वितों का प्रतिशत		व्यय का प्रतिशत	
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
1.	2004–05	100	35	135	226.90	79.15	306.05	74.1	25.9	74.1	25.9
2.	2005–06	130	23	153	302.05	51.90	353.95	85.0	15.0	85.3	14.7
3.	2006–07*	31	14	45	70.05	47.00	117.05	68.9	31.1	59.8	40.2
	योग	**261**	**72**	**333**	**599.00**	**178.05**	**777.05**	**78.4**	**21.6**	**77.1**	**22.9**

*** फरवरी,2007 तक**

चित्र संख्या–8
व्यक्तिगत आवास ऋण योजनान्तर्गत वर्ष 2004–05 एवं 2005–06 में पुरूष एवं महिला लाभान्वितों का प्रतिशत

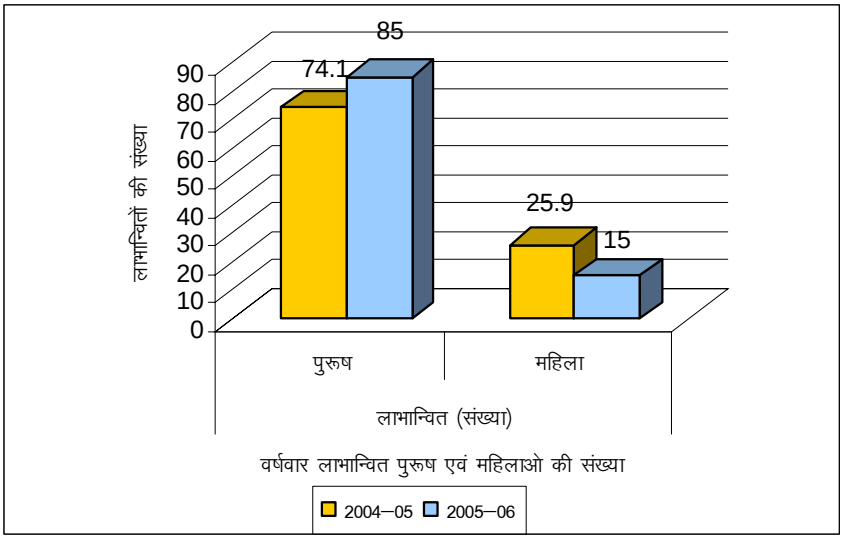

राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लि., जयपुर द्वारा व्यक्तिगत आवास ऋण योजना के अन्तर्गत उक्त सारणी में उपलब्ध सूचना के अनुसार संदर्भित अवधि में कुल 333 व्यक्तियों को आवासन हेतु ऋण राशि उपलब्ध करवाई गई, इनमें 72 (21.6 प्रतिशत) महिलाएं तथा 261 (78.4 प्रतिशत) पुरूष है। इस स्थिति को वर्ष के अनुसार देखने पर ज्ञात होता है कि वर्ष 2004–05 में महिला लाभार्थियों का प्रतिशत 25.9 रहा, वर्ष 2005–06 में इसमें कमी आई तथा महिला लाभार्थियों का प्रतिशत 15 रह गया, वर्ष 2006–07 में महिला लाभार्थियों का प्रतिशत 31.1 हो गया। महिला लाभार्थियों को वर्ष 2004–05 में कुल दिये गये ऋण का 25.9 प्रतिशत दिया गया तथा वर्ष 2005–06 में यह ऋण राशि 14.7 रही। वर्ष 2006–07 में माह फरवरी,2007 तक दी गई कुल ऋण राशि में से 40.2 प्रतिशत दिया गया। वर्ष 2004–05 से 2006–07 तक 3 वर्षों की अवधि में दिये गये कुल आवासन ऋण में से महिलाओं को 22.9 प्रतिशत राशि ऋण के रूप में उपलब्ध करवाई गई।

3.19 बेबी ब्लैंकेट योजना :

वर्ष 1998 से मकान मरम्मत/परिवर्द्धन/आन्तरिक साज–सज्जा हेतु बेबी ब्लैंकेट योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत पूर्व में निर्मित भवनों की मरम्मत व आन्तरित साज–सज्जा के लिए एक लाख रुपये तक का ऋण 10.5 प्रतिशत ब्याज दर पर 7 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। इस कार्यक्रम की स्थिति का विवरण निम्न सारणी में उपलब्ध है :–

सारणी संख्या–12
बेबी ब्लैंकेट योजना की स्थिति

क्र. सं.	वर्ष	लाभान्वित संख्या			व्यय (लाख रुपयों में)			लाभान्वितों का प्रतिशत		व्यय का प्रतिशत	
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
1.	2004–05	67	22	89	63.30	20.70	84.00	75.3	24.7	75.3	24.7
2.	2005–06	46	18	64	46.00	18.00	64.00	71.8	28.2	71.8	28.2
3.	2006–07*	34	11	45	32.55	10.50	43.05	75.06	24.4	75.6	24.4
	योग	**147**	**51**	**198**	**141.85**	**49.20**	**191.05**	**74.2**	**25.8**	**74.2**	**25.8**

*** फरवरी,2007 तक**

चित्र संख्या–9
बेबी ब्लैंकेट योजनान्तर्गत वर्ष 2004–05 एवं 2005–06 में लाभान्वित पुरूष एवं महिलाओं का प्रतिशत

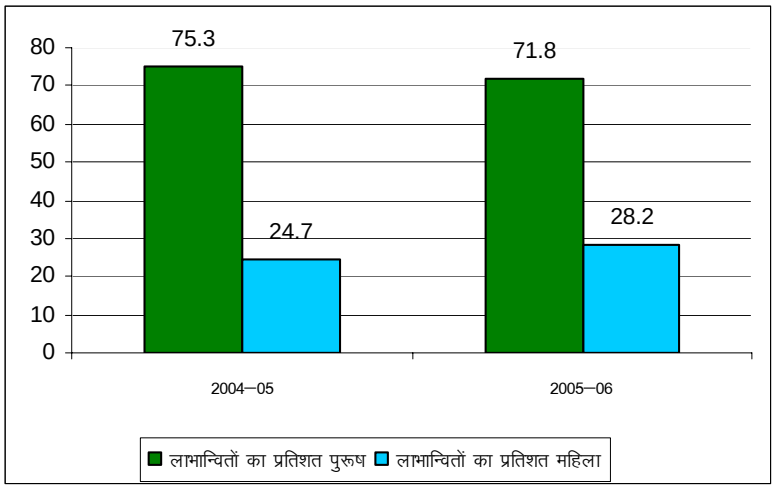

उक्त सारणी में उपलब्ध सूचना के आधार पर निम्न निष्कर्ष उभर कर सामने आते हैं :–

(i) संदर्भित अवधि (वर्ष 2004–05 से 2006–07) में कुल 198 व्यक्तियों को इस योजना से लाभान्वित किया गया। योजना से लाभान्वित होने वालों में 74.2 प्रतिशत पुरूष है तथा 25.8 प्रतिशत महिलायें रही है।

(ii) वर्ष 2004–05 में लाभान्वित होने वाली महिलाओं का प्रतिशत 24.7 था जो वर्ष 2005–06 में 28.2 हो गया, वर्ष 2006–07 में यह 24.4 प्रतिशत रहा है।

(iii) योजना से लाभान्वित संख्या के अनुसार भी राशि व्यय की गई है। इस स्थिति में अन्तर नहीं है।

3.20 गृह निर्माण सहकारी समितियाँ :

राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में 1164 गृह निर्माण सहकारी समितियाँ कार्यरत है जिनके द्वारा कॉलोनियों का विकास कर भू–खण्ड़/भवन अपने सदस्यों को नगरीय/ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराये गये है। राज्य में कार्यरत गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा उपलब्ध करवाये भू–खण्ड़ों/भवनों में महिलाओं की भागीदारी की स्थिति की सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है।

सहकारिता विभाग द्वारा जेन्ड़र बजटिंग एवं ऑडिटिंग के लिए उपलब्ध करवाई गई सूचना में कुछ कार्यक्रमों/योजनाओं की प्रगति न्यादर्श आधार पर (On Sample Basis) दो जिलों की क्रमशः चूरू एवं सीकर की उपलब्ध करवायी गई है, इनका विश्लेषण निम्न प्रकार है।

3.21 अल्पकालीन फसली ऋण :

राज्य के कृषकों को फसल उत्पादन हेतु अल्पकालीन कृषि ऋण वितरण 27 केन्द्रीय सहकारी बैकों एवं 5244 प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों के माध्यम से करवाया जा रहा है। चूरू एवं सीकर जिलों में दिये गये अल्पकालीन कृषि ऋण की स्थिति तथा इसमें महिलाओं की भागीदारी निम्न सारणी में उपलब्ध है :–

सारणी संख्या–13
चूरू एवं सीकर जिलों में अल्पकालीन फसली ऋण की स्थिति

क्र. सं.	वर्ष	ऋण प्राप्तकर्ता एवं राशि							
		पुरूष संख्या	ऋण राशि	महिला संख्या	ऋण राशि	पुरूष प्रतिशत	पुरूष ऋण राशि का प्रतिशत	महिलाओं का प्रतिशत	महिला ऋण राशि का प्रतिशत
1.	2004–05	91834	13816.54	3598	538.11	96.2	96.3	3.8	3.7
2.	2005–06	106054	17357.04	4649	765.64	95.8	95.8	4.2	4.2
3.	2006–07*	78540	15381.91	3809	658.76	95.4	95.9	4.6	4.1

*** दिसम्बर,2006 तक**

उक्त सारणी में उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 2004–05 में 3.8 प्रतिशत महिलाओं को वर्ष 2005–06 में 4.2 प्रतिशत महिलाओं को तथा वर्ष 2006–07 में 4.6 प्रतिशत महिलाओं को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाया गया। इस सम्बन्ध में यह भी जानकारी प्राप्त की गई कि इन महिला सदस्यों को ऋण के रूप में कितनी राशि उपलब्ध करवाई गई। वर्ष 2004–05 में कुल ऋण राशि में से 3.7 प्रतिशत, वर्ष 2005–06 में 4.2 प्रतिशत एवं वर्ष 2006–07 में 4.1 प्रतिशत ऋण राशि उपलब्ध करवाई गई। अल्पकालीन ऋण प्राप्त करने में पुरूषों का प्रतिशत 95 प्रतिशत से 96 प्रतिशत रहा है।

3.22 मध्यकालीन कृषि ऋण :

वर्ष 2004–05 में केन्द्रीय सहकारी बैकों द्वारा 45.65 करोड़ रुपये के ऋण मध्यकालीन कृषि निवेश साख योजना के अन्तर्गत वितरित किये गये। इसके अतिरिक्त 381.41 करोड़ के अल्पकालीन कृषि ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित किया गया।

सारणी संख्या–14

चूरू एवं सीकर जिलों में मध्यकालीन कृषि ऋण की स्थिति

क्र. सं.	वर्ष	ऋण प्राप्तकर्ता (संख्या)			ऋण की राशि वितरित (लाख रुपयों में)			लाभान्वितों का प्रतिशत		प्राप्त ऋण राशि का प्रतिशत	
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
1.	2004–05	105	15	120	276.55	38.71	315.26	87.5	12.5	87.7	12.3
2.	2005–06	108	17	125	307.90	48.32	356.22	86.4	13.6	86.4	13.6
3.	2006–07*	58	25	83	164.89	47.69	212.58	69.9	30.1	77.6	22.4
	योग	**271**	**57**	**328**	**749.34**	**134.72**	**883.98**	**82.6**	**17.4**	**84.0**	**15.2**

*** फरवरी,2007 तक**

उक्त सारणी में मध्यकालीन ऋण के सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना के अनुसार मध्यकालीन ऋण प्राप्त करने में वर्ष 2004–05 में पुरूषों की भागीदारी 87.5 प्रतिशत रही है तथा महिला ऋण प्राप्तकर्ताओं का प्रतिशत 12.5 रहा है वर्ष 2005–06 में यह प्रतिशत बढ़कर 13.6 हो गया तथा वर्ष 2006–07 में माह दिसम्बर,2006 तक इसमें और वृद्धि हो गई तथा महिला की भागीदारी 30.1 प्रतिशत हो गई।

3.23 वर्मी कम्पोस्ट :

रासायनिक खाद के स्थान पर जैविक खाद तैयार करने हेतु 25/50 मैट्रिक टन उत्पादन क्षमता की ईकाइयों हेतु ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। सीकर जिले में इस हेतु 19 पुरूषों को 12.73 लाख रुपये तथा 2 महिलाओं को 1.40 लाख रुपये के ऋण वर्ष 2004–05 में दिये गये। वर्ष 2005–06 में 31 पुरूषों को 2497 लाख रुपये तथा 5 महिलाओं को 4 लाख रुपये की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध करवायी गई।

3.24 स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना :

इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे (बी.पी.एल.) जीवन यापन कर रहे चयनित परिवारों को साख व अनुदान द्वारा आय में वृद्धि करने वाली परिसम्पत्तियाँ उपलब्ध करवाकर उन्हें गरीबी रेखा से ऊ उठाना है। इस योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत रूप से स्वयं सहायता समूहों में व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत चूरू एवं सीकर जिलों की स्थिति निम्न सारणी में उपलब्ध है :–

सारणी संख्या–15

चूरू एवं सीकर जिलों में स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना की स्थिति

क्र. सं.	वर्ष	लाभान्वित (संख्या)			ऋण राशि (लाख रुपयों में)			लाभान्वितों का प्रतिशत		ऋण का प्रतिशत	
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
1.	2004–05	90	45	135	38.65	9.70	48.35	66.7	33.3	79.9	20.1
2.	2005–06	90	71	161	31.79	15.20	46.99	55.9	44.1	67.6	32.4
3.	2006–07*	15	–	15	2.48	–	2.48	100.0	–	100.0	–
	योग	**195**	**116**	**311**	**72.92**	**24.90**	**97.82**	**62.7**	**37.3**	**74.5**	**25.5**

*** नवम्बर,2006 तक**

उक्त सारणी में उपलब्ध सूचना के अनुसार स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत संदर्भित अवधि में 62.7 प्रतिशत पुरूषों तथा 37.3 प्रतिशत महिलाओं का ऋण उपलब्ध करवाकर लाभान्वित किया गया। वर्ष 2004–05 में योजना के अन्तर्गत 33.3 प्रतिशत महिलाओं को तथा वर्ष 2005–06 में 44.1 प्रतिशत महिलाओं को योजना का लाभ दिया गया। वर्ष 2004–05 में कुल ऋण राशि का 20.1 प्रतिशत ऋण महिलाओं को दिया गया तथा वर्ष 2005–06 में 32.4 प्रतिशत ऋण राशि महिलाओं को उपलब्ध करवायी गई।

4.0 सुझाव :

राज्य के नियोजित आर्थिक विकास के लिए सहकारिता आन्दोलन एक प्रमुख आधार है। नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु सहकारिता की भागीदारी महत्वपूर्ण हो गई है। इस स्थिति में जेन्ड़र बजटि।ग एवं ऑडिटिंग की ओर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। सहकारिता क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के विश्लेषण के बाद निम्न सुझाव अंकित किये गये है :–

(i) राज्य में 23727 समितियों के 93.57 लाख सदस्य हैं, इनमें महिला सदस्य भी है परन्तु उनकी संख्या की जानकारी भी होनी चाहिये तथा यथासंभव महिला सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिये।

(ii) ऋण वितरण में महिला कृषक सदस्यों को प्राथमिकता दिये जाने पर विचार किया जाना चाहिये।

(iii) सहकारी संस्थाओं के चुनावों में महिला सदस्यों की संख्या भी आरक्षित किये जाने पर विचार किया जाना चाहिये।

(iv) सहकारी उपभोक्ता व्यवसाय में महिलायें महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन कर सकती है, उन्हें मेडिकल अनुभाग, नागरिक आपूर्ति अनुभाग, मार्केटिंग अनुभाग में महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व दिये जाने पर विचार किया जाना चाहिये।

(v) सहकारी आवास योजना में महिलाओं को अधिक ऋण दिये जाने चाहिये।

(vi) सहकारिता विभाग द्वारा संचालित व्यापार मेलों में महिला संस्थाओं को अधिक भागीदारी दी जानी चाहिये।

(vii) सहकारिता विभाग द्वारा जेन्ड़र बजटिंग एवं ऑडिटिंग के लिए प्रत्येक कार्यक्रम/योजना के लिए लाभान्वित महिलाओं का लेखा रखा जाना चाहिये। विभाग को प्रबोधन के कार्य को अधिक सक्षम बनाये जाने पर विचार किया जाना चाहिये।

———